संख्या-64/2016/2016/2604/33-3-2016-100(16)/2015

प्रेषक,

एस.पी. सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर,2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंग के रूप में गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत राज्यांश मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/शा/3810/2016-5/227/2016, दिनांक 04.10.2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि रू0 64045.75 लाख प्राविधानित है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंग के रूप में गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश रू0 30000.00 लाख अवमुक्त कर दिये जाने के उपरान्त इसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 20000;00 लाख अवमुक्त की जानी है जबकि वर्तमान में बजट व्यवस्था में रू0'17408;104 लाख की धनराशि ही अवशेष् है अत- राज्यांश में उपलब्ध धनराशि रू0 17408;104 लाख (रू0 एक अरब चौहत्तरकरोड आठ लाख दस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबंधों /नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(5) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, जवाहर भ्वन, लखनउ में उत्तर प्रदेश स्टेट वाटर एण्ड सैनीटैशन मिशन (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से खोले गये खाता संख्या.35111378080, आई.एफ.एस.सी. कोड.SBIN0006144 में अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(6) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु- 13 के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के खाते में 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करते हुए संबंधित खाते से 15 दिन के अंदर संबंधित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के खाते में अवमुक्त करने के उपरान्त संबंधित खाते से जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

(7) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101- पंचायती राज-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)(के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मि-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

2- यह ओदश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस.पी. सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in